



राजस्थान सरकार  
राजस्थान स्टेट हेल्थ सोसायटी,  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एफ-12 (8)/एन.आर.एच.एम./आयुष/09/3527

दिनांक: 18-8-9

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त जिले।

विषय :- आयुष गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु अनटाईड फण्ड में से राशि 10000/- रु.  
पृथक् से उपलब्ध करवाने बाबत

विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध अनटाईड फण्ड की राशि में से रुपये 10,000/- की राशि आयुष कार्यों हेतु आरक्षित कर आयुष चिकित्सकों के सुझावों के अनुसार व्यय की जावे।

उक्त राशि का उपयोग आयुष चिकित्सक द्वारा आयुष की विशिष्ट सेवाओं, जैसे- पंचकर्म, क्षारसूत्र, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं संबंधित कार्यों के लिए किया जा सकेगा।



(वी. श्रीनिवास)


शासन सचिव प.क. एवं मिशन निदेशक

क्रमांक: एफ-12 (8)/एन.आर.एच.एम./आयुष/09/3527

दिनांक: 18-8-9

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर।
4. संयुक्त निदेशक (समस्त संभाग)।
5. जिला आयुर्वेद अधिकारी, समस्त जिले।
6. प्रभारी, सर्वर रूम।
7. रक्षित पत्रावली।



शासन सचिव प.क. एवं मिशन निदेशक  
एन.आर.एच.एम., जयपुर